

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ												
27.11.13	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या 06/13-14 शिवजी यादव वनाम् शशि भूषण प्रसाद खत्री एवं अन्य आदेश</p> <p>यह दाखिल खारिज अपीलवाद श्री शिवजी यादव पिता बीरबल यादव निवासी ग्राम-अरवल सिपाह थाना वो जिला अरवल ने अंचल अधिकारी अरवल के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 163/2013 में दिनांक 18.04.13 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया है। अपीलवाद दायर करने में हुए विलंब पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टि की गई। विवादित भूमि निम्न है:-</p> <table border="1" data-bbox="296 808 1222 913"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>ग्राम</th> <th>थाना</th> <th>अंचल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86/98</td> <td>726/974</td> <td>16$\frac{1}{2}$ डी०</td> <td>सिपाह</td> <td>अरवल</td> <td>अरवल</td> </tr> </tbody> </table> <p>उत्तरवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-</p> <p>(1) विवादित जमीन खाता 86/98 खेसरा 726/974 कुल रकवा 1 एकड़ 7 डी० अपीलार्थी को अपनी नानी सोनफुलवा देवी से निबंधित दान पत्र द्वारा प्राप्त है जिसका डिमाण्ड अपीलार्थी एवं उनके माँ के नाम से चल रहा है और अद्यतन राजस्व रसीद कट रहा है।</p> <p>(2) रामदुलारी देवी, अपीलार्थी की मौसी, ने उक्त बख्शीशनामा के विरुद्ध सिविल न्यायालय, जहानाबाद में एक स्वत्व वाद संख्या 91/2000 लायी और एक पक्षीय आदेश पारित करा लिया जिसके द्वारा उक्त बख्शीशनामा को शून्य धोषित किया गया था।</p> <p>(3) उपरोक्त स्वत्व वाद संख्या 91/2000 में पारित आदेश के खिलाफ अपीलार्थी के द्वारा स्वत्व अपीलवाद संख्या 14/2010 दाखिल किया गया जो वर्तमान में उपर जिला न्यायाधीश -03 के न्यायालय में लंबित है।</p> <p>(4) स्वत्व वाद संख्या 91/2000 के न्यायालय में लंबित रहने के दौरान उत्तरवादीगण शशी भूषण प्रसाद खत्री पिता स्व० चन्द्रिका प्रसाद खत्री एवं धर्मेन्द्र सिंह पिता शिवशंकर सिंह ने रामदुलारी देवी से खाता 86/98, खेसरा 726/974 रकवा 16$\frac{1}{2}$ डी० क़य किया और उपरोक्त केवाला के आधार पर वाद संख्या 163/13 के द्वारा दाखिल खारिज आदेश पारित करा लिया।</p> <p>(5) अंचल अधिकारी अरवल ने बिना सम्यक जाँच पड़ताल किये, स्वत्व वाद चलने के क्रम में ही दाखिल खारिज वाद संख्या 163/13 में आदेश पारित कर दिया है।</p> <p>(6) आदेश पारित करने पूर्व अंचल अधिकारी अरवल के द्वारा अपीलार्थी जो कि</p>	खाता	खेसरा	रकवा	ग्राम	थाना	अंचल	86/98	726/974	16 $\frac{1}{2}$ डी०	सिपाह	अरवल	अरवल	
खाता	खेसरा	रकवा	ग्राम	थाना	अंचल									
86/98	726/974	16 $\frac{1}{2}$ डी०	सिपाह	अरवल	अरवल									